कार्यालय विकास अधिकारी पंचायत समिति सोजत जिला पाली

क्रमांक / बीडीओ / सोजत / संस्था / नियुक्ति / 17–18 / 267 दिनांक – 01.08.2017

–:: कार्यालय आदेश ::–

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 273 के तहत जिला परिषद द्वारा आयोजित तृतीय श्रेणी (प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय) अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2016(गैर अनुसुचित क्षैत्र) में नव प्रविष्ट अभ्यर्थियों में से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89 की उप धारा(1) में निर्दिष्ट जिला परिषद् पाली की जिला स्थापना समिति की बैठक क्रमांक एफ3 / जिपपा / डीईसी / 17 / 1662 दिनांक 28.07.2017 द्वारा अनुमोदन पश्चात वरियतानुसार चयनित निम्न अभ्यर्थियों को जिला शिक्षा अधिकारी,प्रारम्भिक शिक्षा पाली के पत्रांक– जिशिअ / प्रार. / पाली / संस्था–शिक्षक / 17 / 2254 दिनांक 31.07.2017 द्वारा काउंसलिग पश्चात् आशार्थी के विकल्प अनुसार इस पंचायत समिति के अधीन विद्यालयो में पदस्थापन देने के फलस्वरूप अधिनियम की धारा 89 की उप धारा (6) एवं राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 276 के तहत इस आदेश में उल्लेखित शर्तो के अधीन निम्न प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक लेवल–प्रथम के पद पर परिवीक्षा प्रशिक्षाणार्थी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तोर पर नियुक्ति प्रदान कर इनका पदस्थापन उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर किया जाता है।

क. स.	रोल नम्बर जिला परिषद मेरिट क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम मय पिता का नाम एवम् वर्तमान पता श्री / श्रीमती / सुश्री	जन्म तिथि	श्रेणी / चयनित श्रेणी (विशिष्ट श्रेणी सहित)	प्रथम / द्वितीय स्तर (विषय सहित)	पदस्थापन स्थान	अभ्यर्थी का फोटो
1	2	3	4	5	6	7	8
1	116141257 2788	मीना यादव पुत्री श्री गोपाललाल यादव अहीरो की ढाणी वार्ड न.4 चौमू जयपुर	15-Aug-90	सामान्य	लेवल प्रथम	राप्रावि खेजडी का गवार (गुडा रामसिंह)	
2	121033939 804	ललित सोनी पुत्र श्री कृष्णगोपाल सोनी माताजी स्कूल के पास बगडी नगर पाली	08-Jun-89	सामान्य	लेवल प्रथम	राप्रावि पैनाल का बाडीया (खोडीया)	
3	121033784 835	रमेश पुत्र श्री कृष्ण मोहनलाल गवारीयो का बास खोखरा, पाली	01-sep-90	एससी	लेवल प्रथम	राप्रावि खेजडी का बाला (खोडीया)	

नव नियुक्त प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालय लेवल–प्रथम अध्यापको को वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक f14(1)fd/rules/2014 pt दिनॉक 24.12.2014 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (पुनरक्षित वेतन) नियम 2008 के नियम 21 की अनूसूची 4 के अन्तर्गत परीविक्षाकाल में नियत पारिश्रमिक 13200/– रूपये देय होगा, एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नही होगें। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधाए एवं अवकाश आदि राजस्थान पंचायती राज नियम एवं राजस्थान सेवा नियमों में निहित संशोधित प्रावधानो के अनुसार देय होगें। 2 वर्ष के परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत उक्त पद का नियमानुसार वेतनमान 9300–34800 ग्रेड पे रूपये 3600 वेतन देय होगा। जो अभ्यर्थी पूर्व से राजकीय सेवा में कार्यरत है, उनके संदर्भ में वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक प.1(2)एफ.डी. / रूल्स / 06 दिनॉक 13.3.2006 के अनुसार विद्यमान वेतन देय होगें।

इन अभ्यर्थीयों की जन्म तिथि वो ही है जो इन्होने परीक्षा के अपने आवेदन पत्रों में उल्लेखित की है और जिन्हे जिला स्थापना जिला परिषद, द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकार किया गया है।

सभी नियुक्तियॉ अस्थायी होगी, एवं नियुक्ति प्राप्त अभ्यर्थीयों के पक्ष में कोई अधिष्ठाई अधिकार उत्पन्न नही करेगी ।

नियुक्ति निम्न शर्तो के अध्याधीन होगी –

1. उपरोक्त अभ्यर्थीयों द्वारा सबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सी.एम.एच.ओ.) द्वारा गठित सक्षम बोर्ड से स्वास्थय प्रमाण पत्र उपस्थिति रिपोर्ट के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट के अभाव में कार्यग्रहण हेतु अनुमति नही दी जावेगी।
2. जिन अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान शैक्षिक / प्रशैक्षिक योग्यताओं से संबंधित प्रमाण पत्र / अंकतालिका प्रस्तुत नहीं किये है, उन्हे पदस्थापित विद्यालय में कार्यग्रहण करने से पूर्व पंचायत समिति कार्यालय में अपनी प्रमाण–पत्र / अंकतालिका की मूल एवं सत्यापित प्रति अनिवार्य रुप से प्रस्तुत करनी होगी।

www.rajteachers.com

3. उपरोक्त नियुक्ति पूर्ण रूपेण अस्थाई है तथा चयनित अध्यापको को पुलिस द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र सत्यापन के अध्यधीन नियुक्ति दी जाती है। यदि सत्यापन रिपोर्ट संतोषजनक नहीं पायी जाती है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझे या निरस्त कर दी जावेगी।
4. राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 256 के अनुसार नियोजन के लिए अपात्र एवं निरर्हक अभ्यर्थी को बिना कारण बताए उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
5. उपरोक्त अभ्यर्थीयों के राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर संस्थाई रूप से सेवारत होने की स्थिति मे उपरोक्त निश्चित मानदेय से अधिक राशि वेतन के रूप में आहरित किये जाने की स्थिति मे गत भूगतान प्रमाण पत्र (एल.पी.सी.) के अनुसार वेतन आहरित किया जावेगा परन्तु उन्हे वार्षिक वेतन वृद्वियों परिवीक्षाकाल सफलता पूर्वक पूरा करने के बाद ही स्वीकृत की जाएगी।
6. यदि इस समय कोई अभ्यर्थी किसी विभाग में अप्रेन्टिस कार्यरत है तो उस विभाग से सबधित अधिकारी से कार्यमुक्त/त्यागपत्र स्वीकृत कराने के पश्चात ही उक्त नियुक्ति पदस्थापन पर कार्यभार संभाल सकेगा।
7. वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना कमांक एफ.13(1)एफ डी/रूल्स/2003 दिनॉक 2.8.2005 एवं 13.3.2006 के अनुसार नई अंशदायी पैशन योजना लागू होगी।
8. कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति कमांक एफ 7(1)(डी.ओ.पी.)–2/95 दिनॉक 20.6.2001 के सबंध में दिनॉक 1जून 2002 के पश्चात दो संतानो में वृद्वि नही हुई है, का नियमानुसार नोन जुडिशियल स्टॉम्प पर निर्धारित प्रपत्र में धोषणा प्रस्तुत करें।
9. उक्त नियुक्ति पर कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनॉक 20.1.2006 एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना/मेमोरेण्डम दिनॉक 13.3.2006 एवं 12.9.2008 में उल्लेखित नियम व शर्ते लागू होगी।
10. परिवीक्षाधीन काल में सेवायें संतोषप्रद नही होने पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस दिये जाने पर समाप्त की जा सकेगी।
11. कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व दो उत्तरदायी व्यक्तियों से जो अभ्यर्थी के रिश्तेदार न हो, से चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो 6 माह पूर्व का नही होगा।
12. अभ्यर्थी को भारत के संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा की शपथ निहित प्रारूप में लेनी होगी।
13. अभ्यर्थी को पदस्थापित विद्यालय में दिनॉक 12.08.2017 तक उपस्थिति देकर पद ग्रहण करना होगा। यदि पदस्थापित विद्यालय में वह उस तिथि तक कार्यग्रहण नही करता है तो उस अभ्यर्थी के नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेगें।
14. ऐसा विवाहित अभ्यर्थी जिसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया हो राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद, सेवा के लिए पात्र नही होगा। इस विषय में पद ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी उक्त शर्त का अपना शपथ पत्र सबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करेगें।
15. अभ्यर्थी को एक से अधिक पत्नि/पति नही होने का शपथ पत्र नियमानुसार नोन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।
16. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि सफलता पूर्वक समाप्ति के पश्चात निर्घारित वेतनमान में पे बैण्ड और ग्रेड पे में वेतन अनुज्ञात किया जाएगा।
17. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमो के अनुभाग–1 अध्याय में आने वाले मामलो को छोडकर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत नही होगा।
18. राजस्थान के बाहर से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित करने वाले कार्मिक की शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता का सत्यापन/जांच कार्यग्रहण के पश्चात एक माह में कराना अनिवार्य होगा।

(तनुराम राठौड़)
विकास अधिकारी
पंचायत समिति सोजत

क्रमांक/बीडीओ/सोजत/संस्था/नियुक्ति/17–18/ 268
दिनांक – 01.08.2017
प्रतिलिपि सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजि सचिव, शासन सचिव, एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ।
3. निदेशक, पेंशन एवं पैशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. जिला परीक्षा नियंत्रक (जिला कलक्टर) पाली।
5. सबंधित पुलिस अधीक्षक, ...को नव नियुक्त उक्त अध्यापको के द्वारा भरे गये चरित्र सत्यापन रोल (अटेस्टेशन फोर्म) की छाया प्रति सलंग्न प्रेषित कर निवेदन है कि इनकी चरित्र सत्यापन रिपोर्ट 15 दिवस में भिजवाने का श्रम करावे।
6. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय पाली।
7. अति. परीक्षा नियंत्रक (मुख्य कार्यकारी अधिकारी)/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, पाली ।
8. मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी पाली को प्रेषित कर लेख है कि अभ्यर्थीयों के मेडिकल बोर्ड प्रतिवेदन की एक प्रति अभ्यर्थी को उपलब्ध करावे तथा स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति पंचायत समिति को प्रेषित करावे ।
9. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रा0शि0)/ जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0पाली।
10. उप कोषाधिकारी, उपकोष कार्यालय सोजत।
11. तहसीलदार तहसील कार्यालय सोजत।
12. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पं. स. सोजत।
13. सबंधित श्री /सुश्री/श्रीमति..............................।
14. निजी/रक्षित पत्रावली

विकास अधिकारी
पंचायत समिति सोजत

www.rajteachers.com